सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निधि नारनोलिया (आर.ए.एस)

वाद संख्या 38/2015 **निर्णय दिनांक:23.05.2018**

1.किशोरी देवी धर्मपत्नी छोटूराम जाति मीणा
निवासी ग्राम सागांवाला तह0 आमेर जिला जयपुर।
2. प्रभाती पुत्र मांगीलाल मीणा जाति मीणा
निवासी ग्राम सागांवाला तह0 आमेर जिला जयपुर।
2/1.मु0 मंगली देवी पत्नी स्व0 प्रभात
2/2. रामचन्द्र | पुत्रान प्रभात
2/3. नाथू |
2/4. छोटूराम |
समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम सांगावाला तह0 आमेर जिला जयपुर।
2/5. कमला देवी पत्नी मल्लाराम पुत्री प्रभात
निवासी ग्राम नटाटा तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर
2/6. ग्यारसी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण पुत्री स्व0 प्रभात–वादी
निवासी ग्राम सागांवाला तह0 आमेर जिला जयपुर।
3. श्योनारायण पुत्र मल्लाराम जाति मीणा
ग्राम सांगावाला तह0 आमेर जिला जयपुर

बनाम

1. किशनलाल पुत्र जगराम जाति मीणा
निवासी ग्राम सांगावाला तह0 आमेर जिला जयपुर।
2. गोविन्द नारायण पुत्र किशन लाल मीणा
3. रामनारायण उर्फ हनुमान पुत्र किशनलाल मीणा
4. धन्ना पुत्र रामपाल मीणा
5. छोटू लाल | पुत्रान रामपाल जाति मीणा
6. महादेव |
7. जगदीश मीणा |
निवासीयान ग्राम सांगावाला तह0 आमेर जिला जयपुर

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत बेदखली ,स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से हस्तगत वाद बाबत बेदखली, स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया है कि आराजी खसरा नं0 9/532 रकबा 0.08 है0 आराजी खसरा नं0 14/435 रकबा 0.06 है0 व खसरा न0 15 रकबा 0.9 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 वाके ग्राम सांगावाला तह0 आमेर के वादी रिर्कोडेड खातेदार है। वादीगण ने यह जमीन पूर्व खातेदारों से खरीदी है तथा नामान्तकरण संख्या 120 दिनांक 25.04.2014 के द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के नाम वर्तमान चालू जमाबंदी में अंकन हो चुका है। वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण अपनी उक्त कृषि भूमि को शांतिपूर्वक काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा मौके पर सीमाबंदी व सीमाज्ञान हो गया है। वादीगण ने जमीन खरीदने के बाद उक्त कयशुदा खातेदारी की कृषि भूमि के सीमाज्ञान कराने हेतु तहसीलदार को भू–अभिलेख आमेर को आवेदन दिया था, जिस पर सम्बन्धित हल्के के पटवारी गोपीराम ने दिनांक 26.06.2014 को मौके पर जाकर मौका निरीक्षण करते हुए सीमाज्ञान कराया था तथा वादीगण की जमीन को सीमाज्ञान कर डिमारकेट की गयी। प्रतिवादी सं0 1 का खेत की जमीन दक्षिण की तरफ खसरा न0 16 है उक्त प्रतिवादी वादीगण की जमीन की ओर बढकर जबरन कब्जा कर नया निर्माण करना चाह रहा है तथा माल मेटेरियल व निर्माण की सामग्री मौके पर डाल दिया है तथा निर्माण कार्य करने पर उतारू है । प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 7 की व वादीगण की उक्त जमीनें, जो डीमारकेटेड भूमि है, से कोई ताल्लूक व सम्बन्ध नही है क्योंकि वादीगण की भूमि का सीमाज्ञान सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा कराया जा चुका है तथा अब प्रतिवादी स 01लगायत 7 उसके परिवार वालो को वादीगण की भूमि की ओर बढकर और जबरन कब्जा कर अवैध रूप से निर्माण करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की उक्त जमीन के दक्षिणी ओर में लगभग 400 फीट लंबा एवं 30 फीट चौडाई वाले भाग में आकर अतिक्रमणकर लिया है तथा अतिक्रमण किये हुए भाग में निर्माण करने का काम कर रहे है, जबकि यह

Nidhi
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ भाग है। प्रतिवादीगण का कृत्य अवैध व नाजायज है, जिसे रोका जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबंद किया जाना आवश्यक व प्रार्थनीय है। विवाद मूल दिनांक 28.11.2015 को जब वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 को वादीगण की भूमि की सीमा में घुसकर माल मेटेरियल डाल कर निर्माण करने पर उतारू है और वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादी सं0 1 से 7 झगडा फसाद करने पर आमदा है इसलिये निरन्तर विवाद मूल उत्पन्न होकर यह दावा हाजा पेश करना आवश्यक व लाजमी हुआ। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि पर किये गये अतिक्रमित भाग से बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण की कृषि भूमि आराजी खसरा न0 14/435 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 9/532 रकबा 0.08 है0 व खसरा नं0 15 रकबा 0.89 है0 वाके ग्राम सांगावाला तह0 आमेर जिला जयपुर जो वादीगण के रिकार्डेड खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है जिसके दक्षिण में प्रतिवादी सं0 1 की भूमि है उक्त प्रतिवादी सं0 1 वादीगण की भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत अथवा किसी प्रकार का निर्माण कार्य आदि ना करें।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये–

1. सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी सवंत 2067–2070 (प्रदर्श–1)
2. प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस (प्रदर्श–2)
3. छायाप्रतिलिपि पर्चा मौका सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2014
4. साक्ष्य शपथ पत्र श्योनारायण पुत्र मन्नाराम मीणा (PW-1)
5. साक्ष्य शपथ पत्र प्रभात पुत्र मांगीलाल मीणा (PW-2)
6. साक्ष्य शपथ पत्र रमेश पुत्र श्रीनारायण मीणा (PW-3)
7. साक्ष्य शपथ पत्र दिलीप सिंह पुत्र गंगासिह मीणा (PW-4)

वाद वादीगण दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को उपस्थित होने एवं जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 04.01.2016 को उपस्थिति प्रस्तुत होने के उपरान्त निरन्तर कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नही होने पर दिनांक 02.08.2016 को प्रतिवादीगण का जवाब दावे का अवसर बन्द किया गया।

अग्रिम कार्यवाही के क्रम में वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र श्योनारायण, प्रभात, रमेश, दिलीप सिंह के पेश किये गये। जिसके क्रम में निरन्तर कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी साक्ष्यो पर जिरह नही की गई। जिससे प्रतिवादीगण का जिरह का अवसर बन्द किया गया तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादीगण नियत की गई। कई अवसरों उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई। जिसके लम्बित रहते प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। जिसके पश्चात अधिवक्ता वादीगण द्वारा अन्तिम बहस लिखित पेश की गई ।

हमने अधिवक्ता वादीगण की लिखित बहस का अवलोकन किया तथा तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि वादीगण की कयशुदा एवं रिकार्डेड खातेदारी की भूमि है। जिसका पूर्व में सीमाज्ञान भी हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र के तथ्यों के खण्डन के रूप में किसी प्रकार का जवाब दावा अथवा किसी प्रकार की कोई मान्य आपत्ति तथा साक्ष्य दस्तावेजात आदि भी पेश नही किये गये है। वादी के प्रस्तुत साक्ष्यों पर जिरह भी नही की गई है ना ही प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण वाद के प्रत्येक स्तर पर अपना पक्ष रखने में असफल रहे है। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर वादग्रस्त भूमि वादीगण की कयशुदा एवं खातेदारी की भूमि है जिसके विशिष्ट भू–भाग पर (वादपत्र में वर्णितानुसार) प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज अतिक्रमण कर रखा है। जिसके सन्दर्भ में वाद के प्रत्येक विभिन्न स्तर पर न्यायालय हाजा द्वारा कई अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं0 9/532 रकबा 0.08 है0 आराजी खसरा नं0 14/435 रकबा 0.06 है0 व खसरा न0 15 रकबा 0.89 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 वाके ग्राम सांगावाला तह0 आमेर के सन्दर्भ में मौका जांच कर यदि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो प्रतिवादीगण को उक्त भू–भाग से बेदखल किया जाकर वादीगण को अपनी उक्त वर्णित भूमि का कब्जा दिलवाये जाने की कार्यवाही करें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की रिकार्डेड खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नं0 9/532 रकबा 0.08 है0, आराजी खसरा नं0 14/435 रकबा 0.06 है0 व खसरा न0 15 रकबा 0.89 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 वाके ग्राम सांगावाला तह0 आमेर में किसी प्रकार का अनाधिकृत कब्जा ना करें तथा वादीगण की भूमि में किसी प्रकार का अवैध निर्माण कार्य इत्यादि ना करें।

निर्णय आज दिनांक को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक आमेर मु0 जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी पीठासीन अधिकारी **श्रीमति निधि नारनोलिया (आर.ए.एस)**

वाद संख्या 38/2015 **निर्णय दिनांक:23.05.2018**

1. किशोरी देवी धर्मपत्नी छोटूराम जाति मीणा
   निवासी ग्राम सागांवाला तह0 आमेर जिला जयपुर।
2. प्रभाती पुत्र मांगीलाल मीणा जाति मीणा
   निवासी ग्राम सागांवाला तह0 आमेर जिला जयपुर।
   2/1.मु0 मंगली देवी पत्नी स्व0 प्रभात
   2/2. रामचन्द्र | पुत्रान प्रभात
   2/3. नाथू |
   2/4. छोटूराम |
   समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम सांगावाला तह0 आमेर जिला जयपुर।
   2/5. कमला देवी पत्नी मल्लाराम पुत्री प्रभात
   निवासी ग्राम नटाटा तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर
   2/6. ग्यारसी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण पुत्री स्व0 प्रभात–वादी
   निवासी ग्राम सागांवाला तह0 आमेर जिला जयपुर।
3. श्योनारायण पुत्र मल्लाराम जाति मीणा
   ग्राम सांगावाला तह0 आमेर जिला जयपुर

बनाम

1. किशनलाल पुत्र जगराम जाति मीणा
   निवासी ग्राम सांगावाला तह0 आमेर जिला जयपुर।
2. गोविन्द नारायण पुत्र किशन लाल मीणा
3. रामनारायण उर्फ हनुमान पुत्र किशनलाल मीणा
4. धन्ना पुत्र रामपाल मीणा
5. छोटू लाल | पुत्रान रामपाल जाति मीणा
6. महादेव |
7. जगदीश मीणा |
   निवासीयान ग्राम सांगावाला तह0 आमेर जिला जयपुर

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत बेदखली ,स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद वादीगण डिक्री किया जाकर तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं0 9/532 रकबा 0.08 है0 आराजी खसरा नं0 14/435 रकबा 0.06 है0 व खसरा न0 15 रकबा 0.89 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 वाके ग्राम सांगावाला तह0 आमेर के सन्दर्भ में मौका जांच कर यदि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो प्रतिवादीगण को उक्त भू–भाग से बेदखल किया जाकर वादीगण को अपनी उक्त वर्णित भूमि का कब्जा दिलवाये जाने की कार्यवाही करें।

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	2 रूपय		मुतफरित		
मीजान			मीजान		